संख्या-2481/9-1-2023-281 सा/2018 | 1480805

प्रेषक,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषयःवेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-पी0सी0/4122/5/मिस.ले./2020, दिनांक 14.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों के पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से संशोधित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-63/2016-वे0अ0-2-2644/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-67/2016/वे0अ0-02-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 के क्रम में स्थानीय निकाय तथा जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के आलोक में सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त उक्त व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए शासनादेश संख्या-3409/9-1-17-194 सा/2016, दिनांक 04.01.2017 निर्गत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वेतन समिति 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के संबंध में संकल्प दिनांक 07.02.2009 के प्रस्तर-5 के नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सादृश्य पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में नगर विकास अनुभाग-6 से निर्गत शासनादेश संख्या-1615/9-6-2009-4(15)/2009, दिनांक 15.06.2009 द्वारा यह व्यवस्था अनुमन्य की गयी

कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर/कार्मिक जिन्हें पेंशन की सुविधा राजकीय विभाग के सादृश्य अनुमन्य है, की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जाये, जो राजकीय पेंशनरों/कार्मिकों के संबंध में अपनायी गयी है।

4. उपर्युक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18.07.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2017-पी०एण्ड पी डब्लू०(डी), दिनांक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को संशोधन शासनादेश से साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरण के अनुसार निर्धारित किये जाने का आदेश निर्गत किये गये है।

5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2017-पी०एण्ड पी डब्लू०(ए), दिनांक 06 जुलाई, 2016 के साथ संलग्न तालिका के आधार पर शासनादेश दिनांक 04.9.2017 तथा शासनादेश दिनांक 18.7.2017 के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुए दिनांक 1 जनवरी 2016 से पेंशन का पुनरीक्षित किये जाने, जिसमें दिनांक 1 जनवरी 2016 के पूर्व की अवधि का कोई एरियर देय नही होगा तथा शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अधीन पेंशन पुनरीक्षण पर देय एरियर का भुगतान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 एवं शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार किया जायेगा।

6. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18.07.2017 तथा शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व समस्त स्थानीय निकायों/जल संस्थाओं के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन संशोधन की व्यवस्था का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं दिनांक 04.09.2017 को एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता हैं। उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों की पेंशन निर्धारण के बारे में आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-9-359-X-2023-24, दिनांक-06 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 08-12-2023 18:42:58
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

2981

संख्या-~(1)/9-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखकार, लेखा (प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ 0 प्र 0 शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 उ 0 प्र 0 शासन।
6. नगर विकास अनुभाग-3/4/6/7, उ 0 प्र 0 शासन।
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव